



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि0- 18.07.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त किशनपाल पुत्र रामदास निवासी डालका नगला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 195/2017 वाद स0- 138/2017 धारा- 25/27 A ACT थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 18.07.2024 को मा0 न्यायालय डी.जे. कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष कारावास व 02 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



डीजीसी -श्री सुदेश प्रताप सिंह



एडीजीसी - श्री श्रवण कुमार



कोर्ट मोहरीर का0 जसवीर सिंह



पैरोकार का0 नितिन कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि०- 18.07.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त किशनपाल पुत्र रामदास निवासी डालका नगला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-190/2017 वाद स०- 137/2017 धारा- 302 IPC थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 18.07.2024 को मा० न्यायालय डी.जे. कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास व 10 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



डीजीसी -श्री सुदेश प्रताप सिंह



एडीजीसी - श्री श्रवण कुमार



कोर्ट मोहरीर हे०का० सुदेश यादव



पैरोकार का० नितिन कुमार



रूट डायवर्जन- जनपद फतेहगढ़



श्रावण मास वर्ष- 2024 में कावण यात्रा के दृष्टिगत यातायात के सुगम- सुचारू रूप से संचालन हेतु रूट डायवर्जन

**दिनांक- 19.07.2024 समय 22.00 से दिनांक 22.07.2024 को स्नान समाप्ति
तक।**

- 1) कन्नौज से कानुपर रोड होते हुये फतेहगढ़ को आने वाले माल वाहन जैसे ट्रक, टैंकर, डीसीएम, डम्पर, लोडर,थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर तथा छोटे व बड़े वाहनों को थानाध्यक्ष कमालगंज द्वारा गुरसहायगंज से छिवरामऊ के लिये डायवर्ट किया जायेगा ।
- (2) कन्नौज से कानुपर रोड होते हुये फतेहगढ़ को आने वाले माल वाहन जैसे ट्रक, टैंकर, डीसीएम, डम्पर, लोडर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर तथा छोटे व बड़े वाहनों को खुदागंज पर थानाध्यक्ष कमालगंज द्वारा रोका जायेगा ।
- (3) छिवरामऊ से जहानगंज होकर फतेहगढ़ को आने वाले माल वाहनों तथा ट्रक, टैंकर डीसीएम, डम्पर, लोडर आदि को जहानगंज काली नदी पर थानाध्यक्ष जहानगंज द्वारा रोका जायेगा।
- (4) बेबर जनपद मैनपुरी की ओर से फतेहगढ़ को आने वाले माल वाहन जैसे ट्रक, टैंकर, डीसीएम, डम्पर, लोडर आदि को बेबर में एवं थाना मोहम्मदाबाद की चौकी मदनपुर व रोहिला तिराहा के पास मोहम्मदाबाद में थाना प्रभारी मोहम्मदाबाद के द्वारा रोका जायेगा ।
- (5) एटा की ओर से फतेहगढ़ को आने वाले माल वाहन जैसे ट्रक, टैंकर, डीसीएम, डम्पर, लोडर आदि को बिराहिमपुर थाना अलीगंज वार्डर पर व कस्वा कायमगंज के वाहर पतौरा/वेरिया तिराहे पर थाना प्रभारी कायमगंज द्वारा रोका जायेगा ।
- (6) बरेली एवं शाहजहांपुर जलालाबाद से फतेहगढ़ को आने वाले माल वाहन जैसे ट्रक, टैंकर, डीसीएम, डम्पर, लोडर आदि को थाना अध्यक्ष राजेपुर के द्वारा डबरी मोड़ पर रोका जायेगा।

**पुलिस अधीक्षक
फतेहगढ़।**

